



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43027 वर्ष 2025

सलीम

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष पक्षकार

आवेदक के अपर शासकीय अधिवक्ता:

आशीष पांडे, रणधीर जैन

विपक्षी पक्ष के अपर शासकीय अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष पांडे और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामेंद्र पाल सिंह की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक सलीम की ओर से दायर की गई है, जिसमें निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, पुलिस थाना श्यामदेउरवा, जिला महाराजगंज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 265/2025 में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 (1), 317 (2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 8.9.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह पुलिस दल द्वारा की गई गोलीबारी का मामला है जिसमें किसी को चोट नहीं आई है। इस मामले में आरोपपत्र 31.10.2025 को पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उसके आपराधिक इतिहास में 5 मामले दर्ज हैं, जिनका पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल अभियुक्त-आवेदक, सलीम को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
 4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा अपर शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
- उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**